संख्या-13/2021/975/अरसठ-4-2021-1083/12

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2021

विषयः-मध्यान्ह भोजन योजना (PM POSHAN) के अन्तर्गत छात्रों को फोर्टिफाइड राइस से बना हुआ गर्म पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-म0भो0प्रा0/1451-54/2021-22 दिनांक 08.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 संलग्न कर अवगत कराया गया है कि मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गयी घोषणा के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना (PM POSHAN) के अन्तर्गत् छात्रों को फोर्टिफाईड राइस उपलब्ध कराया जाना है।

2- अतः मा0 प्रधानमंत्री जी की घोषणा एवं तद्क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2021 एवं 15 सितम्बर, 2021 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मध्यान्ह भोजन योजना (PM POSHAN) के अन्तर्गत् छात्रों को फोर्टिफाईड राइस उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। फोर्टिफाईड राइस हेतु चावल मूल्य रू0 3.00 प्रति किलो ग्राम के अतिरिक्त रू0 0.73 प्रति किलो ग्राम अर्थात फोर्टिफाईड राइस युक्त चावल ("ए" ग्रेड चावल) अथवा कम से कम Fair Average Quality (FAQ) हेतु रू0 3.73 प्रति किग्रा0 का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

3- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा फोर्टिफाईड राइस की अपूर्ति की जायेगी। भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अच्छी गुणवत्ता का फोर्टीफाइड राइस किसी भी अवस्था में Fair Average Quality (FAQ) से कम न हो, योजना हेतु आवश्यक मात्रा में डिपो से नोडल परिवहन एजेन्सियों को आपूर्ति की जायेगी। भारतीय खाद्य

-2/

निगम के पत्र संख्या-गु.नि.9/राइस फोर्टिफिकेशन/2019/417 दिनांक 15.09.2021 के अनुसार Fortified Rice Kernel (FRK) एक प्रकार का कृत्रिम रूप से निर्मित चावल है, जिसमें Vit.B12, Folic acid और Iron मिलाया जाता है। सामान्य चावल एवं FRK चावल 100:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। चावल की श्रेणी, नमूना लेने की प्रक्रिया सामान्य चावल की भांति ही होनी है। यद्यपि चावल की प्राप्ति (CMR) विभिन्न मिलरों के द्वारा ही की जाती है इसलिए FRK चावल की गुणवत्ता जानने के लिए इसका समय समय पर NABL Lab द्वारा testing करायी जायेगी। FRK से सम्बन्धित Specification/Instructions भारतीय खाद्य निगम के पत्र दिनांक 15.09.2021 के साथ संलग्न है।

जनपद द्वारा फोर्टीफाइड राइस की गुणवत्ता हेतु परीक्षण कार्य एवं सैम्पलिंग का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा बताये गये मानक तथा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी होगी।

4- मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति, वितरण एवं उपभोग हेतु समस्त कार्यवाही प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं योजना से सम्बन्धित अधिकारी यथा-महाप्रबन्धक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, जिला विपणन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

/

(धर्मेन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, (एम0डी0एम0), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2- अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्भा रोड, नई दिल्ली।

3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

-3/

4- महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्‌य निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर उ0प्र0 लखनऊ।

5- आयुक्त, खाद्‌य एव रसद, उ0प्र0/ प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 खाद्‌य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 गोखले मार्ग, लखनऊ।

6- समस्त जिला विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य खाद्‌य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड।

9- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।

10-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA
क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र./REGIONAL OFFICE, UP
टी सी.-3.वी,.विभूति खण्डगोमती नगर,लखनऊ,226010
TC-3V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-10

गुण नियंत्रण अनुभाग
QC SECTION
PHONE No. - 0522-4914266
FAX No. - 0522-2306720
E-mail – agmqc2up.fci@nic.in

गु.नि.9/1/राइस फोर्टीफीकेशन/2019 |4117 DD-I

दिनांक: 15.09.2021

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
203/9, नबीउल्लाह रोड
लखनऊ (उ.प्र.)

विषय: मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत फोर्टीफ़ाइड चावल की नमूना सैंपलिंग/उठान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक सं.म.भो.प्र./904/2021-22 दिनांक 06.09.21 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे फोर्टीफ़ाइड चावल की श्रेणी/गुणवत्ता मानक/नमूना सैंपलिंग आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है की fortified rice kernel (FRK) एक प्रकार का कृत्रिम रूप से निर्मित चावल है जिसमे Vit.B12, Folic acid और Iron मिलाया जाता है । सामान्य चावल एवं FRK चावल 100:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है । चावल की श्रेणी, नमूना लेने की प्रक्रिया सामान्य चावल की भांति ही होनी हैं । यधपि चावल की प्राप्ति (CMR) विभिन्न मिलरों के द्वारा ही की जाती है इसलिए FRK चावल की गुणवत्ता जानने के लिए इसका समय समय पर NABL lab द्वारा testing कराया जाता है । FRK से सम्बंधित specification/instructions आपके सूचनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोपरी

भवदीय

सहयक महाप्रबंधक (गु.नि.)
कृते महाप्रबंधक (क्षेत्र)

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA
क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र./ REGIONAL OFFICE, UP
टी सी.-3.वी.,विभूति खण्डगोमती नगर,लखनऊ,226010
TC-3V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-10

गुण नियंत्रण अनुभाग
QC SECTION
PHONE No. - 0522-4914266
FAX No. - 0522-2306720
E-mail – agmqc2up.fci@nic.in

गु.नि.9/1/राइस फोर्टीफीकेशन/2019 /4117 DD-I

दिनांक: 15.09.2021

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
203/9, नबीउल्लाह रोड
लखनऊ (उ.प्र.)

विषय: मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत फोर्टीफ़ाइड चावल की नमूना सैंपलिंग/उठान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक सं.म.भो.प्र./904/2021-22 दिनांक 06.09.21 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे फोर्टीफ़ाइड चावल की श्रेणी/गुणवत्ता मानक/नमूना सैंपलिंग आदि के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है की fortified rice kernel (FRK) एक प्रकार का कृत्रिम रूप से निर्मित चावल है जिसमे Vit.B12, Folic acid और Iron मिलाया जाता है । सामान्य चावल एवं FRK चावल 100:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है । चावल की श्रेणी, नमूना लेने की प्रक्रिया सामान्य चावल की भांति ही होनी है । यद्यपि चावल की प्राप्ति (CMR) विभिन्न मिलरों के द्वारा ही की जाती है इसलिए FRK चावल की गुणवत्ता जानने के लिए इसका समय समय पर NABL lab द्वारा testing कराया जाता है । FRK से सम्बंधित specification/instructions आपके सूचनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथोपरी

भवदीय

सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.)
कृते महाप्रबंधक (क्षेत्र)

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.		

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

Mehur
23/9/2020